



कार्यालय मुख्य अभियंता (मानव संसाधन एवं प्रशासन)
मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड
(म.प्र.शासन का उपक्रम)

CIN No. U40109MP2001SGC014882

ब्लॉक नं.-9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर - 482008

फोन नं. : 0761-2702615

ई मेल : mppgcl@mp.nic.in

फैक्स नं.: 0761-2665805

वेबसाइट :

www.mppgcl.mp.gov.in

क्र: मु.अ.(मा.सं.एवंप्र.)/भर्ती/2019-20/ 2897

जबलपुर, दिनांक 31 JUL 2019

संयंत्र सहायक (आई.टी.आई.) (नियमित आधार पर) भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन

मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कम्पनी, म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रदेश में विद्युत गृहों के संचालन, संधारण, निर्माण और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों हेतु संयंत्र सहायक (आई.टी.आई.) की आवश्यकता है। पदों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1- रिक्तियां :-

पद	संकाय	कुल पद					कुल
		अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
संयंत्र सहायक (आई.टी.आई.)	मैकेनिकल	24	10	12	08	06	60
	इलेक्ट्रिकल	16	06	08	06	04	40
	कुल	40	16	20	14	10	100

*संयंत्र सहायक (आई.टी.आई.) पद हेतु केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन करें।

2- आरक्षण :-

- 1- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, खण्डवा के भू अर्जन से प्रभावित परिवारों के योग्य उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रावधान केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र धारकों पर ही लागू होगा।
- 2- आरक्षण हेतु म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994) में निहित नियमों का पालन किया जावेगा।
- 3- उक्त पदों हेतु जातिगत आरक्षण केवल ऐसे अभ्यर्थियों पर लागू होगा, जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हो।
- 4- उक्त पदों हेतु मध्य प्रदेश राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 02.07.2019 में उल्लेखित नियमों के अनुसार केवल ऐसे अभ्यर्थियों पर लागू होगा, जिनका आय एवं सम्पत्ति का प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश राज्य के तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
- 5- अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के उम्मीदवारों को अपने माता-पिता की पिछले तीन वर्षों की आय का तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

- 6- ऊर्जा विभाग, म.प्र.शासन के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 19 जनवरी 2015 के अनुसार संयंत्र सहायक (आई.टी.आई.) के पद हेतु दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई क्षैतिज आरक्षण लागू नहीं होगा।
- 7- म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. में संयंत्र सहायक पद पर सीधी भर्ती हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र.शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक सी-3-8/2015/एक-3 दिनांक 15 जून 2017 के अनुसार म.प्र.सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अंतर्गत महिलाओं को दिए जाने वाले तैतीस प्रतिशत आरक्षण (33%) से छूट प्रदान की गई है।
- 8- सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र.शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 299 दिनांक 31 मई 2018 के अनुसार यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति; जिला मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाड़ा तथा सिवनी की भारिया जनजाति का है एवं संयंत्र सहायक (आई.टी.आई.) पद के लिए आवेदन करता है और उस पद के लिए विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जावेगा। इस हेतु आवेदक को ऑनलाइन जमा किये गए आवेदन पत्र के प्रिंटआउट एवं अन्य दस्तावेज कार्यालय मुख्य अभियंता (मानव संसाधन एवं प्रशासन), मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, ब्लॉक न. 9, शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के दस दिवस के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा।
- 9- सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र.शासन के पत्र क्रमांक एफ 7-47/2016/आ.प्र./एक दिनांक 01 जनवरी 2018 के अनुसार धीवर, कहार, भोई, केवट, मल्लाह, निषाद आदि जाति के जिन व्यक्तियों द्वारा "मांझी" अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 11.11.2005 के पूर्व शासकीय सेवाओं में नियोजन कर लिया है, उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाएगा, किन्तु उक्त दिनांक के पश्चात उन्हें अनुसूचित जन जाति के अंतर्गत नहीं मानते हुए आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- 10- कुल विज्ञापित पदों में से 30 पद श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, खण्डवा के भूमि प्रभावित परिवारों के योग्य उम्मीदवारों के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित किए गए हैं।
- 3- न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता :-

पद	संकाय	न्यूनतम प्रतिशत (अनारक्षित एवं अ.पि.व. के लिए)	आवश्यक अर्हता
संयंत्र सहायक (आई.टी.आई.)	मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल	आई.टी.आई. में 60 प्रतिशत	हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण एवं मशीनिस्ट/फिटर/वैल्डर/एच.पी.वैल्डर/मैकेनिक पम्प/मैकेनिक वाहन/इलेक्ट्रिशियन/वायरमेन/मोटर मैकेनिक/डीजल मैकेनिक/इलेक्ट्रानिक्स/इंस्ट्रुमेंटेशन ट्रेड में म.प्र.शासन/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से पूर्णकालिक आई.टी.आई. ट्रेड सर्टिफिकेट



नर्मदानगर, शहडोल, रतलाम, रामपुरा स्थित सेन्टर ऑफ एक्सिलेंस के अंतर्गत संशोधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से इलेक्ट्रिकल ट्रेड में दो वर्षीय राष्ट्रीय टेड सर्टिफिकेट (आई.टी.आई. इलेक्ट्रिकल ट्रेड के समतुल्य) भी मान्य होगा एवं उक्तानुसार अर्हता धारण करने वाले आवेदक भी संयंत्र सहायक पद हेतु आवेदन कर सकेंगे ।

अनुसूचित जाति, जनजाति एवं श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, खण्डवा के भूमि प्रभावित परिवारों के योग्य उम्मीदवारों के लिए आवश्यक अर्हता में कोई न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित नहीं है, अपितु उन्हें आवश्यक निर्धारित शैक्षणिक अर्हता में उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।

04. आयु सीमा :-

क्र.	मापदण्ड	न्यूनतम /अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)
2.	खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए	18 से 40
3.	अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक के लिए	18 से 45

आयु सीमा से संबंधित उपरोक्त प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक सी-3-8/2016/1/3 भोपाल दिनांक 04.07.2019 के अनुसार लागू होंगे ।

श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, खण्डवा के भूमि प्रभावित परिवारों के योग्य उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा (खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए निर्धारित) में 05 वर्ष की छूट प्रदान की गयी है

05. प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षुवृत्ति :-

पद	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षुवृत्ति
संयंत्र सहायक आई.टी.आई. (प्रशिक्षु)	09 माह	25,300/-

06. वेतनमान एवं अन्य भत्ते :-

प्रशिक्षण उपरांत नियुक्ति पद	वेतनमान	मूल वेतन (रूपये)	लेवल (म.प्र.शासन की मैट्रिक्स के अनुसार)
संयंत्र सहायक (आई.टी.आई.)	25300-80500	25,300/-	लेवल-6

महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते और लाभ भी नियमानुसार लागू होंगे । नियुक्त कर्मचारी नियमानुसार नवीन पेंशन योजना के पात्र होंगे ।

07. सेवा अनुबंध सह प्रतिभू पत्र

संयंत्र सहायक प्रशिक्षुओं को 09 माह के प्रशिक्षण के उपरान्त कंपनी में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा प्रदान करने हेतु सेवा अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय के एवज में म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. को कुल रू. 50,000/- (पचास हजार रुपये) एवं अन्य व्यय (यदि हो तो) देय होंगे।

08. सामान्य शर्तें

- (1) उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिये।
- (2) म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. द्वारा आवश्यकतानुसार पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। एक उम्मीदवार एक ही संकाय / शाखा के लिये आवेदन कर सकता है। उम्मीदवार के एक से अधिक आवेदन पत्रों को मान्य नहीं किया जावेगा।
- (3) ऐसे उम्मीदवार जो अंतिम सेमेस्टर/वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुये हैं, परन्तु उनका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षित है, आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनका परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उन्होंने उक्त पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त किये हों, लिखित परीक्षा में सफल हुये उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान संयंत्र सहायक पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता धारण करने एवं अंतिम अंक सूची प्रस्तुत करने पर ही उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जावेगा।
- (4) उच्च/अतिरिक्त योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे उक्त पद हेतु आवश्यक अर्हता अर्थात् 10वीं एवं आई.टी.आई. उत्तीर्ण हों, यद्यपि उच्च योग्यता/ अनुभव के आधार पर उनके द्वारा उच्च पद पर नियुक्ति हेतु किया गया कोई दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
- (5) ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय/अर्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं एवं संयंत्र सहायक पद हेतु न्यूनतम अर्हता एवं आयु सीमा संबंधी सभी मापदण्डों को पूर्ण करते हों, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- (6) म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हों, उक्त पद हेतु विभागीय कर्मचारी के रूप में आवेदन कर सकते हैं। विभागीय कर्मचारियों हेतु अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है।
- (7) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें म.प्र. शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करनी होगी।
- (8) सामान्य प्रशासन विभाग म प्र शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 299 दिनांक 31.05.2018 के परिपालन में आदिम जनजाति के उन अभ्यर्थियों को बिना भर्ती प्रक्रिया अपनाये नियुक्ति दी जावेगी जो विज्ञापित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता धारित करते हो यद्यपि ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति संबंधित श्रेणी में विज्ञापित पद की उपलब्धता के आधार पर दी जावेगी। संबंधित श्रेणी में विज्ञापित पदों की संख्या से ज्यादा आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता में प्राप्त अंको के आधार पर की जावेगी।
- (9) उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है एवं जिला मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
- (10) संयंत्र सहायक के कार्य से संबंधित जोखिम को ध्यान में रखते हुए दिव्यांग एवं महिला अभ्यर्थी उक्त पद हेतु आवेदन न करें।
- (11) कुल विज्ञापित पदों में से 30 पद श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, खण्डवा के भूमि प्रभावित उम्मीदवारों के लिये क्षैतिज रूप से आरक्षित रखे गये हैं। कंपनी की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार एक प्रभावित परिवार के केवल एक योग्य

सदस्य को कंपनी की आवश्यकतानुसार म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. में रोजगार में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी ।

- (12) अभ्यर्थियों को विज्ञापन के अनुसार निर्धारित अर्हता पूर्ण करने हेतु दस्तावेज सत्यापन के दौरान मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे । मूल दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में आवेदक की उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।
- (13) म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है । इस संबंध में म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. की कोई जवाबदारी नहीं होगी ।
- (14) म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. किसी भी समय, किसी भी स्तर पर एक या समस्त आवेदनों को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है ।
- (15) नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर में ही मान्य होगा । चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में कंपनी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।
- (16) ऐसे आवेदक, जिनको दिनांक 26.01.2001 तथा उसके पश्चात तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे ।
- (17) अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल के परिपत्र क्र. सी 3-8/2016/1/3 दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार म.प्र. शासन के रोजगार कार्यालय के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है।
- (18) वित्त विभाग, म.प्र.शासन द्वारा जारी परिपत्र क्र. एफ-4/2013/नियम/4 दिनांक 13.09.2013 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा हेतु बुलाए जाने पर नियमानुसार उनके द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी का एक तरफ का द्वितीय श्रेणी का रेल या वास्तविक बस किराया टिकट प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति की जावेगी ।
- (19) उक्त पद हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक विज्ञापन का गहन अध्ययन कर लें ।

09. चयन प्रक्रिया

संयंत्र सहायक पद हेतु एक लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी, जिसमें संबंधित विषय एवं सामान्य अभिरूचि संबंधी प्रश्न पूछे जायेंगे । संयंत्र सहायक (आई.टी.आई.) के 100 पदों हेतु केवल एक ही दिन परीक्षा आयोजित की जावेगी । ऑनलाइन परीक्षा म.प्र. के प्रमुख शहरों में आयोजित की जावेगी । आवश्यकता एवं प्रावीण्य सूची के आधार पर सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु जबलपुर मुख्यालय आमंत्रित किया जावेगा । लिखित परीक्षा की तिथि की सूचना अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचित की जावेगी, जो अभ्यर्थी एम.पी.ऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in से डाउनलोड करेंगे । लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर एम.पी.ऑनलाइन द्वारा प्रावीण्य सूची तैयार की जायेगी । परियोजना प्रभावित अभ्यर्थियों हेतु पृथक से प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

10. लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु मापदण्ड

अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% कट ऑफ अंक एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 40% कट ऑफ अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । भूमि प्रभावित परिवारों के योग्य उम्मीदवारों के लिये लिखित परीक्षा (आनलाइन) उत्तीर्ण करने हेतु निर्धारित न्यूनतम कट ऑफ अंक की अनिवार्यता नहीं है । लिखित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणीवार तैयार की जावेगी । प्रावीण्य सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं, तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जावेगा अर्थात् अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक की तुलना में प्राथमिकता दी जावेगी । जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी, जिन्होंने आईटीआई ट्रेड में अधिक अंक प्राप्त किये हैं। ऐसी स्थिति में जब

उपरोक्त दोनों स्थितियों एक से अधिक आवेदक के लिये समान हो तो कक्षा दसवीं में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी। म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. चयन हेतु निर्धारित न्यूनतम अंकों तक पैन्ल संचालित करेगा। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने संबंधी विशिष्ट आदेश जारी करने के उपरांत किसी भी उम्मीदवार की दावेदारी पर विचार नहीं किया जायेगा। प्रावीण्य सूची तैयार करते समय आरक्षित श्रेणी के वे उम्मीदवार जो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये निर्धारित मानकों पर योग्य पाये जाते हैं, उन्हें अनारक्षित श्रेणी की प्रावीण्य सूची में रखा जायेगा एवं आरक्षण रोस्टर के अनारक्षित बिन्दुओं के विरुद्ध समायोजित किया जावेगा।

प्रावीण्य सूची तैयार करते समय श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना प्रभावित परिवारों के वे उम्मीदवार जो अन्य 70 पदों की मेरिट में आर्येंगे वे इन 70 पदों के विरुद्ध चयनित किये जायेंगे।

समय तालिका

क्र.	गतिविधि	तारीख
1	ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	01 अगस्त 2019
2	ऑनलाईन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	30 अगस्त 2019
3	जमा किए गए आवेदन में त्रुटि सुधार की सुविधा हेतु प्रारंभिक एवं अंतिम तिथि	23 अगस्त 2019 से 30 अगस्त 2019
4	मॉक टेस्ट अपलोड करने की तिथि	लिखित परीक्षा की तिथि से 15 दिवस पूर्व
5	प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि	लिखित परीक्षा की तिथि से 10 दिवस पूर्व
6	मध्य प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर लिखित परीक्षा का आयोजन	संभवतः अक्टूबर 2019
7	उत्तर कुंजी पर आपत्ति जाहिर करने हेतु तिथि	लिखित परीक्षा दिनांक से तीन दिवस पश्चात तीन दिवस के लिए

उपरोक्त तिथियां म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. की आवश्यकतानुसार परिवर्तित की जा सकती हैं।

11. आवेदन कैसे करें :-

- अ- अभ्यर्थी सीधे एम.पी.ऑनलाईन (www.mponline.gov.in) के माध्यम से या म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. की वेबसाइट (www.mppgcl.mp.gov.in) पर दिए गए लिंक का उपयोग कर आवेदन कर सकते हैं।
- ब- आवेदन के साथ दस्तावेजों की निम्नलिखित स्कैन की गई प्रतियाँ उम्मीदवार द्वारा अपलोड किया जाना अनिवार्य है :-
 - 1- जन्म तिथि के समर्थन में हाई स्कूल परीक्षा मार्कशीट/सर्टिफिकेट।
 - 2- निर्धारित अर्हता के समर्थन में हाई स्कूल परीक्षा की मार्कशीट एवं मशीनिस्ट/फिटर/वैल्डर/एच.पी.वैल्डर/मैकेनिक पम्प/मैकेनिक वाहन/इलेक्ट्रिशियन/वायरमेन/मोटर मैकेनिक/डीजल मैकेनिक/इलेक्ट्रानिकस/इंस्ट्रुमेंटेशन ट्रेड में म.प्र.शासन/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से पूर्णकालिक आई.टी.आई. ट्रेड सर्टिफिकेट।
 - 3- निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु)

3

- 4- निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र ।
- 5- फोटो पहचान प्रमाण पत्र ।
- 6- उम्मीदवार का नवीन फोटो एवं हस्ताक्षर ।
- 9- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आय एवं सम्पत्ति का प्रमाण पत्र (मध्य प्रदेश राज्य के तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा जारी) ।
- 7- श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के भूमि प्रभावित उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भूमि अधिग्रहण प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा ।
- 8- श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के भूमि प्रभावित उम्मीदवारों को संयंत्र सहायक (आई.टी.आई) के पदों के लिए आवेदन करते समय अपने परिवार एवं खातेधारकों की लिखित सहमति शपथ पत्र (एफिडेविट) रू 100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड करवा जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा ।

12. आवेदन शुल्क एवं अन्य व्यय: अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए नॉन-रिफण्डेबिल आवेदन शुल्क (पोर्टल चार्जस सहित) रू 1000/- एवं अनुसूचित जाति जनजाति उम्मीदवारों के लिए रू 600/- निर्धारित है ।

13. महत्वपूर्ण: यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे एम.पी ऑनलाईन/म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान दें । एमपी ऑनलाईन/म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. अभ्यर्थियों को सूचित करने हेतु अलग से कॉल, एस.एम.एस. या ई-मेल द्वारा सम्पर्क करने हेतु बाध्यकारी नहीं है, इस संबंध में एमपी ऑनलाईन/म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. की कोई जवाबदारी नहीं होगी । यदि आवेदक समय समय पर कंपनी द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है, तो उसकी दायेंदारी मान्य नहीं की जावेगी । साथ ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सही भरा जाना चाहिए एवं किसी भी जानकारी को छिपाया नहीं जाना चाहिए । यदि भविष्य में पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार का चयन उसके द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी के आधार पर हुआ है, तो ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी एवं तदनुसार उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी ।

हमारी वेबसाइट www.mppgcl.mp.gov.in एवं एम पी ऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in का अवलोकन करते रहें ।



(ए.के. नेमा)

मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर

